[illegible].06.2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से मो0 इस्लाम अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवंटी बत्तू पुत्र श्री रामूलाल मीना निवासी बौल को ग्राम बौल मे स्थित खसरा नम्बर 311/1 रकबा 1 बिघा भूमि दिनांक 30.11.1981 को आवंटन की गई थी। जिसका हाल खसरा नम्बर 1029, 826 रकबा 0.25 है0 है। जिस पर आवंटी द्वारा आवंटन नियमो की पालना नहीं करने के कारण उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवंटी द्वारा पूर्ण आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे यह कहीं भी अंकित नहीं किया हुआ है कि आवंटी द्वारा किस प्रकार आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की जा रही है। आवंटन के पश्चात् आवंटी को नियमानुसार कब्जा भी दिया गया था तथा आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात् तीन साल भूमि पर काश्त की गई थी। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर आवंटी का ही कब्जा है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर सर्वप्रथम पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिस आवंटन के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं की है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी ने यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि आवंटी द्वारा किस प्रकार आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटि पूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को एक माह के भीतर–भीतर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता देते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी